राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी : अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 12/2025

दायरा तिथि : 15/01/2025

निर्णय :- 27/5/2025

मदन लाल बनाम राजस्थान सरकार आदि

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत रिकॉर्ड दुरुस्ति

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 13/01/2025 को वादी मदन लाल पुत्र मूला राम जाति कुम्हार निवासी खाखीजी कुआ के पास, दड़ीबा, बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान ने उक्त धारा के तहत एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रोही ग्राम ढाणी कुम्हारान तहसील बीदासर में खेत खाता नम्बर नया 180 खसरा संख्या 1350/139 तादादी 0.0692 हे, खसरा नम्बर 1351/139 तादादी 0.1731 हे. , खसरा नम्बर 1356/138 तादादी 0.1070 हे. कुल तादादी 0.3493 हे., खेत खाता संख्या नया 181, खसरा संख्या 1363/157 तादादी 0.1654 हे., खेत खाता संख्या 182 नया, खसरा संख्या 1346/101 तादादी 0.1376 हे., खसरा संख्या 1347/139 तादादी 2.0389 हे., खसरा संख्या 1359/154 तादादी 0.3000 हे., खसरा संख्या 1364/79 तादादी 0.2952 हे. कुल तादादी 2.7717हे., खेत खाता संख्या 4 खसरा संख्या 1340/101 तादादी 0.1891 हे. तथा रोही ग्राम चक दड़ीबा तहसील बीदासर जिला चूरू में खेत खाता संख्या 118 खसरा संख्या 204/160 तादादी 0.4821 हे. में वादी का नाम मदन पुत्र मूलाराम दर्ज है वह गलत है, जबकि वादी का सही नाम मदन लाल पुत्र मूला राम है। प्रतिवादीगण 1 ता 13 को जरिए नोटिस तलब किया गया, प्रतिवादीगण अमराराम, हणमान, सोहन, ओमप्रकाश पुत्रगण स्व. मूलाराम व सोहनी पत्नी स्व. गोपाल भोमरिया, महेश, सरिता, भाग्यश्री, अनुज, श्रीकांत पुत्र-पुत्रियां स्व. गोपाल भोभरिया उपस्थित हुए जिन्होंने इकबालिया ब्यान प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का वास्तविक नाम मदन लाल पुत्र मूला राम है न कि मदन पुत्र मूलाराम। अतः सही नाम मदन पुत्र मूलाराम की बजाए मदन लाल पुत्र मूला राम किया जावे।

पैरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर वादी अपना नाम शुद्ध करवाये तो हमें आपत्ति नहीं है व प्रतिवादीगण संख्या 3 व 6 बावजूद सम्मन के उपस्थित नहीं अतः उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अपना आधार कार्ड, पहचान-पत्र भारत निर्वाचन आयोग, अपना परिवार राशन कार्ड, बैंक की पासबुक आदि की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की जिन सभी में मदन पुत्र मूलाराम की बजाय मदन लाल पुत्र मूला राम अंकित है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत जमाबन्दी रोही ग्राम ढाणी कुम्हारान तहसील बीदासर में खेत खाता नम्बर नया 180 खसरा संख्या 1350/139 तादादी 0.0692 हे, खसरा नम्बर 1351/139 तादादी 0.1731 हे., खसरा नम्बर 1356/138 तादादी 0.1070 हे. कुल तादादी 0.3493 हे., खेत खाता संख्या नया 181, खसरा संख्या 1363/157 तादादी 0.1654 हे., खेत खाता संख्या 182 नया, खसरा संख्या 1346/101 तादादी 0.1376 हे., खसरा संख्या 1347/139 तादादी 2.0389 हे., खसरा संख्या 1359/154 तादादी 0. 3000 हे., खसरा संख्या 1364/79 तादादी 0.2952 हे. कुल तादादी 2.7717हे., खेत खाता संख्या 4 खसरा संख्या 1340/101 तादादी 0.1891 हे. तथा जमाबन्दी ग्राम चक दड़ीबा तहसील बीदासर जिला चूरू में खेत खाता संख्या 118 खसरा संख्या 204/160 तादादी 0.4821 हेक्टेयर में अंकित खातेदार मदन पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार निवासी दड़ीबा की बजाय मदन लाल पुत्र मूला राम जाति कुम्हार निवासी दड़ीबा, बीदासर दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं, तहसीलदार बीदासर को प्रतिलिपि पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू